

रजिस्ट्रीकृत उपयोग कर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
(धारा 25 नियम 55)

(रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के बीच लिखित रूप में करार या उसकी सम्यक रूप से अधिप्रमाणित प्रति, धारा 55(1) में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़, नियम 55(2) की अपेक्षानुसार विशिष्टियों को उपर्याप्त करते हुए शपथ-पत्र और विवरण और पूर्वोक्त प्रत्येक दस्तावेज़ की दो प्रतियों सहित तीन प्रतियों में भरा जाए ।)

-----1 के द्वारा जो -----2की बाबत -----
अभिन्यास डिज़ाइन संख्या -----का /के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हैं, द्वारा आवेदन किया जाता है और -----द्वारा3 -----कि उपर्युक्त कथित 4-----को ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों 5के अध्यधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाए ।

6(प्रस्तावित अनुशता उपयोग तारीख ----- माह -----20 को समाप्त होगी ।)
(प्रस्तावित अनुशता उपयोग अवधि की सीमा रहित है)

आज माह-----तारीख-----20

7-----

8-----

सेवा में,
अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्रार,
-----पर 9अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के पूरा नाम, पता तथा राष्ट्रीयता बताएँ ।
2. रजिस्टर के अनुसार विनिर्देश लिखें ।
3. प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के भारत में कारबार के मुख्य स्थान का पूरा नाम तथा पता, यदि कोई हो राष्ट्रीयता, और वर्णन भरें । यदि भारत में कारबार का कोई स्थान नहीं है तो भारत में निवास स्थान, यदि कोई हो तो, का पता बताएँ । यदि भारत में कोई निवास स्थान ही न हो तो विदेश में अपने गृह देश का और भारत में तामील के लिए पता बताएँ ।
4. प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का नाम लिखें ।
5. यदि कोई शर्त या निर्बंधन न हों तो कुछ भी नहीं लिखें ।
6. जो शब्द लागू न हो उसे काट दें ।
7. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या उसके अधिकारी के हस्ताक्षर
8. प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता या उसके अधिकारी के हस्ताक्षर
9. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान का नाम । नियम -4 देखें